न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 120/2025

दायर तारीख :– 25.07.2025

1. रामेश्वर लाल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी पचकोडिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. गंगा देवी पत्नि नारायण
2. गणपत लाल पुत्र नारायण
3. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण

   समस्त जाति जाट निवासी पचकोडिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज.।
4. यूको बैक शाखा मण्ढा भीमसिंह जरिये प्रंबधक ।
5. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयुपर ।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री जयन्त चौधरी , अधिवक्ता वादी
श्री संजय बाज्या , अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,2,3

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.11.2025

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 121 खाता संख्या 94 की आराजी खसरा न. 3/1 रकबा 1.7450 हैक्टेयर , खसरा न. 370/3 रकाब 1.1886 हैक्टेयर , खसरा न. 382/3 रकाब 0.7713 हैक्टेयर, खसरा न. 383/3 रकबा 0.1644 हैक्टेयर , खसरा न. 6/2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर , खसरा न. 6/4 रकबा 0.2276 हैक्टेयर , खसरा न. 7/1 रकबा 0.6323 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7408 हैकटेयर वाकै ग्राम पचकोडिया पटवार हल्का पचकोडिया भू.'अभि.नि.क्षैत्र पचकोडिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज. मे वादी का हिस्सा 8/27 शेष हिस्सा राजस्व जमांबदी में दर्ज अनुसार प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित वादी प्रतिवादीगण की अविभाजित आराजीयात है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा है तथा वादी प्रतिवादीगण अपने जमांबदी में दर्ज हिस्से अनुसार बुजुर्गान के समय से वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने दर्ज हिस्से की भूमि का मौके कब्जे अनुसार के सिद्वात के आधार पर आपयी सहमति से विभाजन कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार वादग्रस्त भूमि का मौके कब्जे अनुसार के सिद्वात के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते आ रहे है तथा बहाने बाजी करते आ रहे है। जिससे वादी को अपनी हक व हिस्से की भूमि की सीवंमेड कायम करने एंव भूमि को उन्नत व विकसित करने के लिए ऋण इत्यादि लेने मे भारी समस्याओं का सामना करना पडता है तथा बाजोत को लेकर हमेशा लडाई झगडा होने की संभावना बनी रहती है प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया है जिसके कारण प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि को सम्मिलित करते हुये मनचाही जगह पर कब्जा करके वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है । इसी आशय से दिनाक 21/07/2025 को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर आये और मनचाही जगह की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

बैचान करने का सौदा करने एंव वादी के आवागमन के रास्ते पर अवैध निर्माण करने की नियत से पत्थर डालकर बाधा उत्पन्न करने लगे तब वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया और विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण उग्र होते हुये वादी को धमकी दी की हम वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नही करवायेगे तथा मनचाही जगह से भूमि पर कब्जा कर भूमि पर निर्माण कर तथा बेचान करके भू–माफिया व्यक्तियो को बैचान कर मौके पर उनका कब्जा करवाकर वादी को मौके से बेदखल करके रहेगें । इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 की ओर वकील सजंय बाज्या ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है प्रतिवादी संख्या 4 फार्मल पार्टी है। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार है।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी पेश की है।
4. प्रकरण दिनांक 08.10.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार कि0रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार को सुना गया। उपस्थित उभय पक्षकारान के द्वारा मुताबित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अनुसार अन्तिम निर्णय करने हेतु निवेदन किया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक उभय पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से नक्शें कुर्रेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुर्रेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुर्रेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का अनन्य भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	गंगा देवी पत्नी नारायण जाति जाट सा0 देह	382/3/2	0.1422	बारानी–2
		7/1/2	0.1422	बारानी–3
		7/1/4	0.1422	बारानी–3
	कुल किता	3	0.4266	
2	गणपत लाल पुत्र नारायण जाति जाट सा0देह	382/3/1	0.6291	बारानी–2
		383/3/3	0.0421	चाही–2
		370/3/4	0.2387	बारानी–2
		6/4	0.2276	बारानी–2
	कुल किता	4	1.1375	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

3	जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण जाति जाट राहिन यूको बैंक शाखा मण्ढा भीमसिंह	382/3/2 6/2/2 7/1/1 370/3/3	0.0693 0.3428 0.2591 0.4663	चा02 जा02 बा03 बा02
		कुल किता 3	1.1375	
4	रामेश्वर लाल पुत्र नारायण जाति जाट सा0 देह	6/2/3 7/1/3 370/3/2	0.5824 0.0888 0.4663	चा.2 0.5184 जा.2 0.0640 बारानी3 बारानी 2
		कुल किता 3	1.1375	
5	1. गंगा देवी पत्नी नारायण हि0 1/9 जाति जाट सा0 देह 2. गणपत लाल पुत्र नारायण हि0 8/27 जाति जाट सा0 देह 3. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण हि0 8/27 जाति जाट राहिन यूको बैंक शाखा मण्ढाभीमसिंह 4. रामेश्वरलाल पुत्र नारायण हि0 8/27 जाति जाट सा0देह	383/3/1 6/2/1 3/1 370/3/1	0.0530 0.0864 1.7450 0.0173	चा02 जा.2 बा02 बा02
	कुल किता	4	1.9017	

नोटः— तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल—दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। तथा खसरा नम्बर 370/3 से बनने वाले सभी खसरा नम्बरान पर न्यायालय आदेश क्रमांक 330—331 दिनांक 26.03.24 के द्वारा जारी स्टे का नोट अंकित करना सुनिश्चित करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 21/11/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सर्वेश शर्मा)आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. रामेश्वर लाल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी पचकोडिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. गंगा देवी पत्नि नारायण
2. गणपत लाल पुत्र नारायण
3. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण
   समस्त जाति जाट निवासी पचकोडिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज.।
4. यूको बैक शाखा मण्ढा भीमसिंह जरिये प्रंबधक ।
5. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयुपर ।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत विभाजन आराजी एंव स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 120/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जंयत चौधरी व हाजरी श्री संजय बाज्या मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम पचकोडिया तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	गंगा देवी पत्नी नारायण जाति जाट सा0 देह	382/3/2	0.1422	बारानी–2
		7/1/2	0.1422	बारानी–3
		7/1/4	0.1422	बारानी–3
	कुल किता	3	0.4266	
2	गणपत लाल पुत्र नारायण जाति जाट सा0देह	382/3/1	0.6291	बारानी–2
		383/3/3	0.0421	चाही–2
		370/3/4	0.2387	बारानी–2
		6/4	0.2276	बारानी–2
	कुल किता	4	1.1375	
3	जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण जाति जाट राहिन यूको बैंक शाखा मण्ढा भीमसिंह	382/3/2	0.0693	चा02
		6/2/2	0.3428	जा02
		7/1/1	0.2591	बा03

उपखण्ड अधिकारी

		370/3/3	0.4663	बा02
		कुल किता 3	1.1375	
4	रामेश्वर लाल पुत्र नारायण जाति जाट सा0 देह	6/2/3 7/1/3 370/3/2	0.5824 0.0888 0.4663	चा.2 0.5184 जा.2 0.0640 बारानी3 बारानी 2
		कुल किता 3	1.1375	
5	1. गंगा देवी पत्नी नारायण हि0 1/9 जाति जाट सा0 देह 2. गणपत लाल पुत्र नारायण हि0 8/27 जाति जाट सा0 देह 3. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण हि0 8/27 जाति जाट राहिन यूको बैंक शाखा मण्ढाभीमसिंह 4. रामेश्वरलाल पुत्र नारायण हि0 8/27 जाति जाट सा0देह	383/3/1 6/2/1 3/1 370/3/1	0.0530 0.0864 1.7450 0.0173	चा02 जा.2 बा02 बा02
	कुल किता	4	1.9017	

मुहर

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

नोटः– तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद कर लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 370/3 से बनने वाले सभी खसरा नम्बरान पर न्यायालय आदेश क्रमांक 330–331 दिनांक 26.03.24 के द्वारा जारी स्टे का नोट अंकित करना सुनिश्चित करे।

निर्णय दिनांक 21/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल